मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित
परियोजना क्रियान्वयन इकाई, राजगढ़–ब्यावरा रोड़, पीपलबे –पुरोहित जोड़ मोहनपुरा फिल्टर प्लांट, राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.

web: mpjalnigam.co.in, E-mail: gmrajghar.mpjalnigam@mp.gov.in
CIN. U41000MP2012SGC028798

क्रमांक /494 /पी.आई.यू. /म.प्र.ज.नि.मर्या. /2020 राजगढ़ दिनांक 11 /05 /2020

प्रति,

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल राजगढ़

विषयः– राजगढ़ जिले में ग्रामीणो को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मोहनपुरा बहु ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के अन्तर्गत पीने के पानी की टंकी के निर्माण हेतु 0.63 हेक्टेयर वन भूमि म.प्र. जल निगम मर्यादित पी. आई.यू. राजगढ़ को उपयोग पर देने बावत्। (ऑन लाइन प्रकरण क्रमांक / FP/MP/ Water/39733/2019

संदर्भ :– 1 आपका पत्र क्रमांक 753 दिनांक 16.03.2020
2 कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) सतपुडा भवन भोपाल का पत्र क्रमांक /एफ–5/897/2019/10–11/956 दिनांक 07/03/2020

––––––000––––––

उक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि मोहनपुरा योजना के अन्तर्गत विभिन्न ग्रामों में वनक्षेत्र में पेयजल सुविधा हेतु पीने के पानी की टंकी के लिए आवश्यक राशि एजेन्सी मैसर्स एल.एण्ड.टी कम्पनी द्वारा आपके उक्त संबंधित पत्र में अंकित राशि 394380/– (अक्षरी तीन लाख चौरान्वे हजार तीन सौ अस्सी मात्र) एवं 100/– (अक्षरी एक सौ मात्र) ऑन लाइन भुगतान किया जा चुका है। भुगतान संबंधी दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न है।

कृपया निर्धारित वनक्षेत्रों में पीने के पानी की टंकी की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें। साथ ही आपकी सभी शर्तो के अधीन कार्य किया जावेगा।

संलग्नः– एल.एण्ड.टी.कम्पनी द्वारा भुगतान के
दस्तावेज एवं शर्तो के पालन हेतु वचन पत्र।

महाप्रबंधक
म.प्र.ज.नि.मर्या.पी.आई.यू.
राजगढ़

क्रमांक /495 /पी.आई.यू. /म.प्र.ज.नि.मर्या. /2020 राजगढ़ दिनांक 11 /05 /2020

प्रतिलिपिः–

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

महाप्रबंधक
म.प्र.ज.नि.मर्या.पी.आई.यू.
राजगढ़

प्रपत्र

अ.क.	आवेदक संस्था	परियोजना का नाम	आवेदक संस्था द्वारा		भारत सरकार स्थित म.प्र. स्टेट कैम्पा के खाते में जमा कराई गई राशि				अन्य कोई विवरण यदि हो	राशि जमा करने की सूचना प्राप्ती दिनांक	की गई प्रविष्टियों का राजपत्रित		
			मद	राशि	बैंक का नाम	खाता कमांक	UTR No.	दिनांक			नाम	पदनाम	हस्ताक्षर व दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	MP Jal Nigam Maryadit	Mohanpura MVRWSS		394,380	UNION BANK OF INDIA	344902010105423	CITIN20061164081	29/4/20	—				
2.	MP Jal Nigam Maryadit	Mohanpura MVRWSS		100	Corporation Bank	150765339733266	IRM0319070	5/5/20					

Job Code	Job Description	Business Unit	PO/WO Code	Bill No	Paid To/ Recieved From	Bank Code	Cheque Nc	Cheque Dat	Amo
LE180729	Mohanpura MVRWSS	Water Supply & Distribution		LE/SZ000010/BPB/20/INR/ 0006887	FOREST DIVISION, BHOPAL	008	CITIN2006116408 1	Apr 29, 2020	394380.00

SBI

Other Transfer

INB Reference Number	IRM0319070	05-May-2020 [01:05 P
Debit Transaction Status	Processed	

Debit Account Details

SBI Account No	Account Type	SBI Branch	Amount	Commission Amount	Transactio
00000010078202458	Savings Account	SATPURA BHAWAN	INR100.00	INR0.00	QKT

Credit Account Details

Account No.	Transfer Type	Amount	Purpose
150765339733266	QKT	100.00	CAMPA

Scanned with CamScanner

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित
परियोजना क्रियान्वयन इकाई, राजगढ़–ब्यावरा रोड़,
पीपलबे –पुरोहित जोड़ मोहनपुरा फिल्टर प्लांट, राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.
web: mpjalnigam.co.in, E-mail: gmrajghar.mpjalnigam@mp.gov.in
CIN. U41000MP2012SGC028798

वन विभाग की शर्तो का वचन पत्र

1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	Yes, Agreed
2	NPV: Net present value (NPV) for the 0.63 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30-10-2002, 01-08-2003, 28-03-2008, 24-04-2008 and 09-05-2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18-09-2003, as well as letters No. 5-2/2006- FC dated 03-10-2006 and 5-3/2007-FC dated 05-02-2009 in this regard.	Yes, Agreed
3	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shell be charged by the state government from the user agency. The user agency shall furnish an undertaking to this effect.	Yes, Agreed
4	No felling of trees shall be done.	Yes, Agreed
5	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in).	Yes, Agreed
6	User agency shall obtain Environmental clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	Yes, Agreed
7	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of central Government.	Yes, Agreed
8	No Laboure camp shall be established on the forest land.	Yes, Agreed
9	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	Yes, Agreed
10	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	Yes, Agreed
11	The forest land shall not be used for any purpose other then that specified in the project proposal.	Yes, Agreed

12	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of the Govt. of India.	Yes, Agreed
13	Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No.11-42/2017-FC dt 29-01-2018.	Yes, Agreed
14	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	Yes, Agreed
15	No work shall be done during night.	Yes, Agreed
16	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in).	Yes, Agreed

महाप्रबंधक
म.प्र.ज.नि.मर्या.पी.आई.यू.
राजगढ़

कार्यालय वनमंड़ल सामान्य राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.

टेलीफोन – (07372) 255007 (का.) 255008 (नि.) ई–मेल dforajgarh@mpforest.org

क्रमांक/माचि/2020/753

राजगढ़ दिनांक :– 16-3-2020

प्रति,

महाप्रबंधक,
म.प्र. जल निगम मर्यादित
पी.आई.यू. राजगढ

विषय :– राजगढ जिले में ग्रामीणों को पेयजल सुविधा प्रदान करने हेतु मोहनपुरा बहु ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत पीने के पानी की टंकी के निर्माण में नेट प्रेजेन्ट वेल्यू की राशि जमा करने बाबत।

संदर्भ :– अ.प्र.मु.व.सं. (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक 956 दिनांक 07.03.2020

विषयांकित में लेख है कि आपके द्वारा वनमंडल राजगढ अंतर्गत वनखण्ड राजगढ, छायन एवं छगोडा के कक्ष क्रमांक पी–48,52,55, एवं 56 में पीने के पानी की 7 नग टंकियों का निर्माण कार्य किया जाना हैं जिसमें 0.63 हेक्टयर वनक्षेत्र प्रभावित होता है।

1. म.प्र. शासन वन विभाग वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक–एफ–5–14/2005/10–3 दिनांक 06.08.2016 से पीने के पानी की टंकी को पंजीयन/प्रोसेसिंग शुल्क से मुक्त किया जाता है।

2. नेट प्रजेन्ट वेल्यू के संदर्भ में म.प्र. शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक/एफ–5/18/2002/10–3 दिनांक 18.11.2004 एवं आदेश क्रमांक/एफ–5/16/2000/10–3 दिनांक 12.09.2008 तथा म.प्र. शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक–एफ–5/16/2000/10–3 दिनांक 21.11.2000 तथा सम संख्यक आदेश दिनांक 25.02.2003 एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ–5/921/10–11/789 दिनांक 27.02.2020 द्वारा आवेदक संस्था से टंकी निर्माण हेतु राशि जमा करने हेतु निर्देशित किया है। प्रभावित वनभूमि III ट्रापीकल ड्राइ डिसीडियस फोरेस्ट (उष्ण कंटिबधीय शुष्क पर्णपाती वन) वन का घनत्व 0.4 के लिए एन.पी.व्ही. 6.26 लाख की लागत तथा 0.63 हेक्टयर की राशि जिसके ऐवज में उपयोगकर्ता से नेट प्रेजेन्ट वेल्यू की **राशि 3,94,380/– अक्षरी(तीन लाख चौरानवे हजार तीन सौ अस्सी)** रुपये मात्र आवेदक /संस्था से वसूल कर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू–प्रबंध) सतपुडा भवन भोपाल के पत्र क्र./एफ–11/भू–प्रबंध/2017/891 दिनांक 01.04.2017 के अनुसार सभी प्रकार की राशियॉ का भुगतान ई–पोर्टल के माध्यम से राशि जमा कर सलंग्न प्रपत्र में जानकारी एवं जमा किये गये अभिलेखों की छायाप्रति इस कार्यालय को प्रेषित करें।

संलग्न :– पत्र की छायाप्रति।

म.प्र. जल निगम मर्यादित ... परियोजना क्रियान्वयन इकाई, राजगढ़ — आवक क्र. 457 दिनांक 16/3/2020

वनमंड़लाधिकारी
सामान्य वनमंड़ल राजगढ़

D:\A My Document amrat 2019-20\DM\new Letters 2019.docx